रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.—33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 117] दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 24, 2008/श्रावण 2, 1930 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 115
No. 117] DELHI, THURSDAY, JULY 24, 2008/SRAVANA 2, 1930 [N.C.T.D. No. 115

भाग–IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (कर एवं स्थापना) विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 24 जुलाई, 2008

सं. फा. 3(21)/वित्त (कर एवं स्था.)/2008-2009/जेएसएफ/350.— जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के मत से ऐसा करना आम जनता के हित में समीचीन है ।

अब, इसलिए, दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 103 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम के साथ संलग्न छठी अनुसूची में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिनियम के साथ संलग्न छठी अनुसूची में,—

1. भाग–क के क्रम संख्या 1 की प्रविष्टि में, क्रम संख्या (33) जर्मनी की उपप्रविष्टि में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

"(33) जर्मनी [(i) दूतावास/प्रदूतावास तथा राजनयिकों के संबंध में वैट की छूट/रिफण्ड के लिये प्रति खरीद प्रति व्यापारी न्यूनतम बीजक मूल्य 5600/- रुपये होगा, (ii) राजनयिकों के व्यक्तिगत मामले में प्रति वित्तीय वर्ष छूट/रिफण्ड की अधिकतम सीमा 33,600 होगी (वाहनों की खरीद पर वैट छोड़कर), (iii) खाद्यान्नों तथा तम्बाकू उत्पादों के संबंध में वैट की छूट/रिफण्ड प्राप्त नहीं होगा ।]"

2. भाग–क के क्रम संख्या 1 की प्रविष्टि में, क्रम संख्या (85) सिंगापुर की उपप्रविष्टि में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

"(85) सिंगापुर [(i) उच्च आयोग/महाप्रदूतावास/प्रदूतावास के कार्यालय प्रयोग हेतु खरीद के लिए वैट की छूट/रिफण्ड दी जायेगी, (ii) जल/बिजली/कुकिंग गैस के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं पर वैट की छूट/रिफण्ड की सुविधा राजनयिकों के निजी प्रयोग हेतु की गई खरीद के लिये वापिस ली गई है।]"